



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-111

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 276778 दिनांक 08/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Mithlesh Rathor W/o MITHLESH RATHOR	श्रीमती कान्ती देवी पत्नी श्री जगन्नाथ	199	40.50 SQ. METER	JDA	GOVINDPU RA SCHEME Sector/Block-	Name Transfer	श्रीमती मिथलेश राठोर पत्नी श्री मिथलेश राठोर द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर जविप्रा की योजना गोविन्दपुरा के भूखण्ड संख्या 199 क्षेत्रफल 40.50 व0मी0 का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। जविप्रा की योजना गोविन्दपुरा के भूखण्ड संख्या 199 क्षेत्रफल 40.50 व0मी0 का पट्टा क्रमांक डी-272 दिनांक 27.09.2013 को श्रीमती कान्ती देवी पत्नी श्री जगन्नाथ के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात् श्रीमती कान्ती देवी पत्नी श्री जगन्नाथ द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दिनांक 22.10.2024 को गोविन्दपुरा में स्थित मकान नम्बर 198, 199, 200 व 201 कुल क्षेत्रफल 200 व0ग0 की वसीयत श्री मिथलेश राठोर पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ के पक्ष में निष्पादित की गई। तत्पश्चात् श्री मिथलेश राठोर पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ द्वारा दिनांक 23.12.2025 को श्रीमती मिथलेश राठोर पत्नी श्री मिथलेश राठोर के पक्ष में उक्त भूखण्ड को रजि0 उपहार पत्र किया गया है।
--

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

### प्रतिलिपि:-

1. Mithlesh Rathor W/o MITHLESH RATHOR को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

### नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतिपाठ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

